राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांक: 03.08.2018

आवंटन आदेश माह सितम्बर, 2018
(खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत)

अवर सचिव, भारत सरकार, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक 1–8/2013–बी.पी.–III दिनांक 26.09.2013 के क्रम में खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवारों सहित) हेतु माह सितम्बर, 2018 हेतु गेहूँ का जिलेवार उप आवंटन संलग्न परिशिष्ट–1 के अनुसार किया जाता है। उचित मूल्य दुकानवार उप–आवंटन खाद्य विभाग के पोर्टल पर प्रदर्शित है। उक्त आवंटन के उचित मूल्य दुकानवार उठाव के दौरान निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी पात्र लाभार्थियों/परिवारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना अनिवार्य है। खाद्य विभाग द्वारा जिले की उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत "अन्त्योदय एवं अन्य पात्र" परिवारों/लाभार्थियों की विभागीय पोर्टल पर दिनांक 01.08.2018 की अद्यतन संख्या के आधार पर माह सितम्बर, 2018 का आवंटन, ऑफलाइन वितरण वाली दुकानों को सम्मिलित करते हुए, एतद्द्वारा जिलेवार उचित मूल्य दुकानवार किया जाता है।

2. जिले को आवंटित कुल खाद्यान्न मात्रा में से उचित मूल्य दुकानों को ऑनलाईन उप–आवंटन माह सितम्बर, 2018 से राज्य स्तर से किया जा रहा है। उचित मूल्य दुकानदार को आवंटित खाद्यान्न मात्रा राशन डीलर की पोस मशीन पर प्रदर्शित होगी जिसे राशन डीलर द्वारा रिसीव करने पर आवंटित खाद्यान्न मात्रा "सेन्ड–टू–पोस" हो जायेगी।

3. जिलेवार खाद्यान्न का आवंटन जिले की कुल ऑफ लाइन दुकानों की संख्या को सम्मिलित करते हुए किया गया है। इस हेतु कोई भी अतिरिक्त आवंटन देय नहीं होगा।

4. सितम्बर माह हेतु जिलों को खाद्यान्न आवंटन निर्धारित अन्त्योदय एवं अन्य पात्र परिवार हेतु पात्रता अनुसार किया जा रहा है। जिलों द्वारा उठाव उचित मूल्य दुकानवार स्टॉक की भौतिक उपलब्धता के आधार पर आवश्यकतानुसार किया जाकर शेष मात्रा समर्पित किए जाने का विकल्प होगा। जिला रसद अधिकारी का दायित्व होगा कि उचित मूल्य दुकानवार सितम्बर माह हेतु वांछित आवंटन मात्रा अनुसार उठाव करें।

इस विभाग द्वारा गेहूं उठाव बाबत जारी समसंख्यक आदेश दिनांक 26.07.2014 अनुसार माह सितम्बर, 2018 तक का **उठाव उसके पूर्व माह की अंतिम तिथि तक किया जाना सुनिश्चित करें।**

शेष अन्य सभी नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार यथावत लागू रहेगी ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

3/08/18
(अंजू राजपाल)
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक एफ 13(1)खा.वि./आवंटन/खाद्य सुरक्षा/2017 जयपुर, दिनांक: 03.08.2018

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव (खाद्य), राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर।
4. समस्त, जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
5. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि0, जयपुर।
6. महाप्रबन्धक, (क्षेत्र) क्षेत्रीय कार्यालय, भारतीय खाद्य निगम, 4 नेहरू प्लेस, टोंक रोड जयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी, जयपुर।
8. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत माह सितम्बर, 2018 हेतु आवंटित गेंहू की मात्रा की निर्धारित अवधि में राशि जमा कराकर उठाव सुनिश्चित् करावें। **गेहूं उठाव की निर्धारित अवधि पूर्ण होने के पश्चात बिना किसी ठोस वजह के गेहूं उठाव एवं राशि जमा कराने की वैधता अवधि का विस्तार नही किया जायेगा।**
9. प्रोग्रामर, खाद्य विभाग इस आदेश को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करें।
10. रक्षा पत्रिका।

03/08/18

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों (अन्त्योदय परिवार एवं अन्य पात्र लाभार्थी) हेतु जिलेवार आवंटन माह सितम्बर, 2018

क्र.सं.	नाम जिला	प्रतिमाह आवंटित मात्रा (मै.टन मे)
1	अजमेर	7632.855
2	अलवर	11839.215
3	बांसवाडा	8397.805
4	बांरा	4996.555
5	बाडमेर	9411.410
6	भरतपुर	7779.130
7	भीलवाडा	7461.625
8	बीकानेर	6212.920
9	बूंदी	3305.565
10	चित्तौड़गढ़	4954.820
11	चूरू	6611.705
12	दौसा	5527.160
13	धौलपुर	4179.440
14	डूंगरपुर	6738.970
15	श्रीगंगानगर	5522.820
16	हनुमानगढ	4838.180
17	जयपुर	14048.755
18	जैसलमेर	2020.060
19	जालौर	5840.150
20	झालावाड	5370.015
21	झुंझुनू	5343.490
22	जोधपुर	9273.900
23	करौली	4657.310
24	कोटा	4601.375
25	नागौर	11230.035
26	पाली	6394.300
27	प्रतापगढ़	3738.480
28	राजसमंद	4146.880
29	सवाईमाधोपुर	4084.610
30	सीकर	8351.160
31	सिरोही	3784.390
32	टोंक	4779.100
33	उदयपुर	12067.335
योग		**215141.520**

25/08/18.

अंजू राजपाल
उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग